



## संगठनात्मक ढांचा और कार्य



# संगठनात्मक ढांचा और कार्य

## प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

## विजन

ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आधुनिक, धारणीय एवं प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र।

## उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओवर बर्डन हटाने (ओबीआर), लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहलें
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान

- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

## कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित विषय (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास।
- कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
- कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन। 4क. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
- कोयला खान कल्याण संगठन।
- कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम (1947 का 32) का प्रशासन।

- x. खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद-शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।
- xi. कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
- xii. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

### 1. संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार तीन अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक उप महानिदेशक, नौ निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक, नौ अवर सचिव, दस अनुभाग अधिकारी, एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी हैं। दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय का संगठन चार्ट अनुबंध-1 में दिया गया है।

### 2. अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हैं:-

- (i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय—एक अधीनस्थ कार्यालय।
- (ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)—एक स्वायत्तशासी निकाय।

### सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

- i. कोल इंडिया लिमिटेड
- ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)
- iii. नेयवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन इंडिया लिमिटेड

### 3. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक 'महारत्न' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा सबसे बड़ा नियोजित कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ (8) राज्यों में फैले 84 खनन क्षेत्रों में प्रचालित है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 318 खानें हैं (1 अप्रैल, 2022 की स्थिति), जिनमें से 141 भूमिगत, 158 ओपनकास्ट और 19 मिश्रित खानें हैं।

सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दस भारतीय सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:-

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल),
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
- नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)
- सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड
- सीआईएल सौर पीवी लिमिटेड

इसके अलावा, सीआईएल की मोजांबिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है।

असम अर्थात् नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में खानों का प्रबंधन सीधे सीआईएल द्वारा किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की चार (4) सहायक कंपनियां हैं, एसईसीएल की दो (2) सहायक कंपनियां हैं और सीसीएल की एक (1) सहायक कंपनी है।

सीआईएल के पास निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियां भी हैं:

1. सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीआईएल तथा एचएफसीएल के बीच हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) जिसमें 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सीआईएल की सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में उर्वरक निर्माण (अमोनिया, यूरिया एवं नीम कोटेड यूरिया) के लिए 33.33% हिस्सेदारी है।
2. आरसीएफ, सीआईएल, गेल तथा एफसीआईएल के बीच तलचर उर्वरक लिमिटेड (टीएफएल) जिसमें 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सीआईएल की तलचर ओडिशा में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी सहित उर्वरक परियोजनाओं एवं रसायनिक निर्माण (यूरिया) परिसर के लिए 33.33% हिस्सेदारी है।
3. सीआईएल और एनटीपीसी के बीच सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सीआईएल की सौर विद्युत परियोजनाओं में 50% हिस्सेदारी है।
4. सीआईएल तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सीआईएल की विद्युत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 50% हिस्सेदारी है।
5. इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

#### 4. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन का लगभग 9% का उत्पादन करती है।

एससीसीएल का तेलंगाना में कोटागुडेम, भद्राद्री जिले में पंजीकृत कार्यालय है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 43,000 श्रमशक्ति (31.12.2022 की स्थिति) सहित तेलंगाना के छह जिलों में 18 ओपनकास्ट तथा 24 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को

नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसके लिए माइन क्लोजर प्लान सहित खनन योजना अनुमोदित की जाती है तथा खनन पूर्व कार्यकलाप प्रगति पर है। वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक खान से कोयला उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है।

कोयले के उत्पादन के अलावा, एससीसीएल ने ताप विद्युत उत्पादन, सौर विद्युत उत्पादन, विस्फोटक विनिर्माण के लिए ओबी से कैप्टिव उपयोग, प्रोसेस्ड सैंड में भी डायवर्सिफिकेशन किया है।

वर्तमान में, 2X600 मे.वा. सिंगरेनी थर्मल विद्युत स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिला में प्रचालन में है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन 9352.93 एमयू है तथा वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) में कुल 7219 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया है।

एससीसीएल ने 300 मे.वा. का सोलर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। अभी तक एससीसीएल के विभिन्न स्थानों पर 219 मे.वा. के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 15 मेवा के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्षमता सहित शेष 81 मेवा के लिए कार्य प्रगति पर है। 2022-23 (दिसम्बर तक) के दौरान 225.59 एमयू विद्युत उत्पादन किया गया है। इसके अलावा, एससीसीएल तेलंगाना राज्य के रिजर्वार्थर्स के जलीय क्षेत्रों में 250 मे.वा. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की भी संभावना की तलाश कर रहा है।

#### 5. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक "नवरत्न" कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल की कई परियोजनाएं हैं तथा इसका विस्तार तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडीशा, झारखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में होने के साथ-साथ मौजूदा खानों एवं विद्युत संयंत्रों के विस्तार/उसमें तेजी लाना, ग्रीन फील्ड खानों एवं विद्युत संयंत्रों की स्थापना, विद्युत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, पूरे भारत में छाप छोड़ते हुए देश भर में पवन एवं सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है। एनएलसीआईएल लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करते हुए तथा थर्मल पॉवर एवं हरित ऊर्जा की उपलब्धि सहित ऊर्जा

क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रचालन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

### लिग्नाइट खानें:

- नेयवेली में 30.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.10 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान। लिग्नाइट क्षेत्र में वर्तमान स्थापित क्षमता 32.1 एमटीपीए है।

### कोयला खानें:

- 20.00 एमटीपीए तालाबीरा II और III ओसी खान प्रचालन एमडीओ माध्यम के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 2019 को प्रारंभ हो गया था। तालाबीरा खानों से कोयला उत्पादन 26 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ हुआ था। तालाबीरा खानों से पूर्ण क्षमता में उत्पादन जनवरी, 2027 तक होने की आशा है।

### लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन:

- नेयवेली, तमिलनाडु में 3390 मेगावाट (मे.वा.) की कुल स्थापित क्षमता सहित चार लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 250 मेवा की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन। लिग्नाइट आधारित कुल स्थापित थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता 3640 मे.वा. है।

### नवीकरणीय ऊर्जा:

- एनएलसीआईएल ने कझनीरकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 51 मे.वा. की स्थापित क्षमता सहित अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। एनएलसीआईएल ने कई सौर-संयंत्र स्थापित किए हैं अर्थात् नेयवेली में 140 मे.वा. (130 मे.वा.+10 मे.वा.) का सौर-ऊर्जा संयंत्र, नेयवेली में 1.06 मे.वा. क्षमता की रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में 500 मे.वा. और 709 मे.वा. तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 मे.वा. के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इसके साथ ही एनएलसीआईएल की कुल आरई स्थापित क्षमता 1421.06 मे.वा. है।

- एनएलसीआईएल 1 जीडब्ल्यू सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली पहली पीएसयू बन गई है। सौर परियोजना की वर्तमान स्थापित क्षमता 1.37 जीडब्ल्यू है।

### कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन:

- एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड तथा टीएएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्वीटी भागीदारी) के माध्यम से तुतिकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो (1000 मे.वा.) इकाइयों सहित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना प्रचालन में है।
- दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार एनएलसी इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 6061.06 मे.वा. थी।
- नेयवेली तमिलनाडु में पांच थर्मल पावर स्टेशन और तीन खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में लिग्नाइट खानें एवं लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनएलसीआईएल की उत्पादन वृद्धि बनी हुई है और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसका पर्याप्त योगदान है।

### निर्माणाधीन परियोजनाएं:

- नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल), जो एनएलसीआईएल और यूपीआरवीयूएनएल का एक संयुक्त उद्यम है, घाटमपुर यूपी में 17237.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3x660 मेगावाट घाटमपुर कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट (जीटीपीपी) को लागू कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इकाइयों के चालू होने की आशा है।
- थर्मल पावर स्टेशन-II दूसरा विस्तार (टीपीएस-II दूसरा विस्तार-2x660 मेगावाट) 1320 मेगावाट क्षमता का एक लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट जिसमें

660 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां मुदनाई गांव (नेवेली के पास), कुड्डलोर जिला, तमिलनाडु में स्थापित करने का प्रस्ताव है। जो नेवेली के लिग्नाइट खान से जुड़ा हुआ है। परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी सहित सभी आवश्यक अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। टीएनजीईडीसीओ ने इस प्रस्तावित परियोजना से संपूर्ण 1320 मेगावाट की खरीद करने की इच्छा व्यक्त की है। परियोजना के लिए भूमि पहले से ही कब्जे में है। स्थापित करने के लिए सहमति भी उपलब्ध है। परियोजना की पहली इकाई को अनुबंध दिए जाने की तारीख से 50 महीने में और दूसरी इकाई को 6 महीने की फेज शिफ्ट के साथ चालू किया जाना निर्धारित है।

- खान III: 4842 हेक्टेयर के परियोजना क्षेत्र को शामिल करते हुए 11 एमटीपीए की अधिकतम रेटेड क्षमता वाली परियोजना को 3755.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर टीपीएस II द्वितीय विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू करने का प्रस्ताव है। ब्लॉक में 415 मि.ट. का खनन योग्य भंडार है। खनन परियोजना शुरू करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के 2026 तक अपना परिचालन शुरू करने की उम्मीद है।
- लिग्नाइट गैसीकरण और मेथनॉल में रूपांतरण” स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में लिग्नाइट का उपयोग करना और लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है जो पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी तरीके से उपलब्ध हैं। नियोजित मेथनॉल परियोजना का लक्ष्य प्रतिदिन 1200 मीट्रिक टन मेथनॉल का उत्पादन करना है। 22.10.2022 को ग्लोबल टेंडर इन्क्वायरी जारी की गई है और बोली खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
- एनएलसीआईएल ने असम राज्य में 1000 मेगावाट नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास के लिए 09.08.2022 को असम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (एपीडीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

## योजनाधीन/निर्माणाधीन परियोजनाएं :

- पूरे देश में सौर एवं ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु एनएलसीआईएल तथा सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी 'कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड' 50:50 की इक्विटी भागीदारी सहित 10 नवम्बर, 2020 को स्थापित की गई थी।
- पचवारा साउथ कोयला ब्लॉक (पीएससीबी) (9 एमटीपीए), दुमका, झारखंड: ईसी और एफसी प्रस्ताव एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। व्यवहार्यता रिपोर्ट और बैंकेबिलिटी रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रगति पर है। अग्रिम कार्यवाई प्रस्ताव (एएपी) अनुमोदन के लिए 11.07.2022 को एमओसी को प्रस्तुत किया गया था।
- एनएलसीआईएल ने एसईसीआई द्वारा जारी 150 मे.वा. पवन-सौर हाइब्रिड निविदा और आईआरडीए द्वारा जारी 510 मे.वा. सौर निविदा प्राप्त की है।
- ओडिशा (एनटीटीपीपी) में 2400 मेगावाट पिटहेड कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना 2026-27 तक स्थापित हो जाने की संभावना है। 2022-23 में टीएनजीईडीसीओ, पीईडीओ और केएसईबीएल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। ग्रिडको के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने का कार्य प्रगति पर है। सिंगल पैकेज (बीटीजी, बीओपी, एफजीडी और इंफ्रास्ट्रक्चर ववर्स) ईपीसी टेंडर एलओए देने की प्रक्रिया के अग्रिम चरण में है।

## 6. कोयला नियंत्रक का संगठन

कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, कोटागुदेम और आसनसोल में हैं। दिल्ली और कोलकाता को छोड़कर प्रत्येक फील्ड कार्यालय में एक जीएम/डीजीएम स्तर का कार्यपालक है जो विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की क्षमता में कार्य कर रहा है तथा जिसे अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। कोलकाता कार्यालय एनईसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला खानों की देख-रेख करता है तथा

कोयला नियंत्रक को विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान करता है। कोयला नियंत्रक कार्यालय के सांख्यिकीय स्क्व में दो आईएसएस अधिकारी तथा अन्य सहायक स्टाफ तैनात हैं जो कोयला सांख्यिकी के नियमित आधार पर संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार हेतु सीसीओ एक नोडल कार्यालय है।

सीसीओ के प्रशासनिक विंग का मुखिया संयुक्त निदेशक (आईएसएस) होता है तथा उन्हें उप निदेशक (आईएसएस) तथा दो उप सहायक कोयला नियंत्रक और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है।

31.12.2022 की स्थिति के अनुसार सीसीओ, दिल्ली, सीसीओ, कोलकाता, एवं धनबाद कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

### 30.12.2022 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति की स्थिति

जनशक्ति	समूह क	समूह ख		समूह ग	कुल
	राजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	अराजपत्रित	
संस्वीकृत संख्या	11	शून्य	38	128	177
पदधारित	04	शून्य	21	51	76
रिक्त	<b>07</b>	शून्य	<b>17</b>	77	101

### कोयला नियंत्रक संगठन को सुदृढ़ करना

हाल के वर्षों में कोयला क्षेत्र सहित उसकी नीतिगत रूपरेखा तथा विधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से कोयला नियंत्रक के संगठन की पुनर्संरचना करने तथा उसके पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता हुई। इस पृष्ठभूमि में, कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करने के लिए पूर्व कोयला नियंत्रक श्री ए.एन.सहाय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति की विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 2020 और 2021 के दौरान चार बैठकें हुईं और समिति की अंतिम रिपोर्ट कोयला

मंत्रालय को सौंपी गई।

श्री ए.एन.सहाय समिति की अंतिम पुनर्गठन रिपोर्ट में, सीसीओ के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न तकनीकी स्तर पर 177 जनशक्ति का प्रस्ताव किया गया था। सहाय समिति की अंतिम पुनर्गठन रिपोर्ट को कोयला मंत्रालय द्वारा 7.09.2021 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। खानों की संख्या में वृद्धि और भविष्य में पूरी तरह से स्वचालन को ध्यान में रखते हुए सीसीओ की जिम्मेदारियों में वृद्धि की दृष्टि से कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत संशोधित जनशक्ति की आवश्यकता निम्नानुसार है

	स्वीकृत पदों की संख्या	समाप्त समझे जाने वाले पदों की संख्या	अभ्यर्पित किए जाने वाले पदों की संख्या	बनाए रखने के लिए मौजूदा पदों की संख्या	नए सृजित पदों की संख्या	नई प्रस्तावित संख्या	टिप्पणियां
क्र. सं.	1	2	3	4(1-2-3)	5	6 (4+5)	
मात्रा	177	43	62	72	58	130	कोयला मंत्रालय के विचाराधीन

### कार्य:

कोयला नियंत्रक संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है :

(i) कोयला नियंत्रण नियम, 2004 (2021 में संशोधित)

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।

(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011



(iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।

(v) सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य ।

इसके अलावा, कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:-

(क) कोयला खानों का निरीक्षण ताकि कोयले के वर्ग, ग्रेड या आकार की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके ।

(ख) कोलियरी में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेड की घोषणा और रखरखाव के उद्देश्य से निर्देश जारी करना ।

(ग) कोयले के ग्रेड की घोषणा से उत्पन्न उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए ।

(घ) ग्रेड के रखरखाव के संबंध में गुणवत्ता निगरानी, ग्रेड और आकार के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वैगनों/ट्रकों में कोयले की लोडिंग ।

(ङ) कोयला खान, सीम या सीम के किसी भाग को खोलने/फिर से खोलने की अनुमति प्रदान करना या खान को उप-विभाजित करना ।

(च) खनन योजना और खान बंद करने की योजना का अनुमोदन

(छ) वॉशरी रिजेक्ट नीति का कार्यान्वयन

(ज) स्टार रेटिंग नीति के तहत खानों की समीक्षा/मूल्यांकन

(झ) मासिक कोयला और लिग्नाइट सांख्यिकी का संग्रह, संकलन और वार्षिक प्रकाशन अर्थात् अनंतिम कोयला सांख्यिकी और कोयला निर्देशिका का विमोचन

(ञ) एस्करो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए धन की प्रतिपूर्ति

(ट) कोयला खान संरक्षण और विकास खाते से क्रेडिट राशि का भुगतान:

(ठ) कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयलाधारी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर आपत्तियों को सुनना

और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(ड) नीलामी के लिए प्रस्तावित कोयला ब्लॉकों के लिए संभावित बोलीदाताओं के लिए फील्ड विजिट की सुविधा सुलभ करना ।

(ढ) संसद पूछताछ और आरटीआई

(ण) नीति आयोग, आईबीएम, राज्य सरकार और डीपीआईआईटी आदि को सहायता ।

01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

### वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन कार्यालय का निष्पादन

- कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना:** कोयला नियंत्रक संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022) तक के दौरान 21 खानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है ।
- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान:** वर्ष 2022-23 (दिसम्बर, 2022) तक के दौरान अनापत्ति जारी करने हेतु सीसीओ ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय 05 मामलों की सिफारिश प्रस्तुत की है ।
- ग्रेड स्लिपेज के संबंध में वैधानिक शिकायत:** दिसंबर 2022 तक ग्रेड स्लिपेज के खिलाफ वैधानिक शिकायतों के 31 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से कोयला नियंत्रक ने 21 मामलों की सुनवाई की है और शेष 10 प्रक्रिया में हैं ।
- सीआईएल के अलावा सभी कोयला और लिग्नाइट कंपनियों के लिए खनन योजना और खान बंद करने की योजना का अनुमोदन:** कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना तैयार करने, लागू प्रस्तुत करने, जांच, अनुमोदन और संशोधन हेतु कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन सं.34011/28/2019-सीपीआईएम दिनांक

29.05.2020 के अनुसार खनन योजना कोयला मंत्रालय के एसडब्ल्यूसीएल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की आवश्यक जांच और टिप्पणियों के अनुपालन के बाद, समिति कोयला नियंत्रक को खनन योजना के अनुमोदन की अनुशंसा करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) में 17 माइनिंग प्लान और माइन क्लोजर प्लान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 7 प्रक्रियाधीन हैं।

5. **स्टार रेटिंग नीति के तहत कोयला/लिग्नाइट खानों की समीक्षा:** कोयला और लिग्नाइट खानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, स्टार रेटिंग नीति तैयार की जाती है और कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए समान नीति के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा 01.04.2019 से अनुमोदित किया गया था। स्टार रेटिंग नीति के अनुसार, सात मॉड्यूलों में व्यापक रूप से शामिल विभिन्न कारकों के तहत सभी कोयला खदानों के कोयला नियंत्रक के संगठन द्वारा स्व-मूल्यांकन और बाद में सत्यापन की एक प्रणाली को लागू करने की

योजना बनाई गई है:

1. खनन संचालन संबंधी पैरामीटर
2. पर्यावरण संबंधी पैरामीटर
3. प्रौद्योगिकियों को अपनाना: सर्वोत्तम खनन पद्धतियां
4. आर्थिक निष्पादन
5. पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी मानदंड
6. कामगार संबंधित अनुपालन
7. संरक्षा और सुरक्षा संबंधी पैरामीटर

यूजी खानों और ओसी खानों दोनों के लिए स्व-मूल्यांकन के लिए निर्धारित टेम्पलेट में इन सात मॉड्यूलों में ओपन कास्ट खानों में कुल 50 और भूमिगत खानों में 47 मूल्यांकन पैरामीटर निर्दिष्ट किए गए हैं। यूजी और ओसी दोनों परिचालन वाली मिश्रित खानों के मामले में, खानों की अंतिम रेटिंग की गणना मिश्रित खान के ओसी और यूजी खंडों के कोयला उत्पादन लक्ष्य के भारत औसत पर की जाएगी।

आधार वर्ष 2019-20 के लिए स्टार रेटिंग का निष्पादन इस प्रकार है:

रेटिंग वर्ष	कंपनी का नाम	आकलित खानों की संख्या	खान का प्रकार	घोषित स्टार रेटिंग खानों की संख्या					
			ओसी+यूजी+मिश्रित	5 स्टार	4 स्टार	3 स्टार	2 स्टार	1 स्टार	स्टार नहीं
2019-20	कुल	358	182+158+18	16	41	134	100	61	6
	बीसीसीएल	30	18+5+7	0	2	3	13	10	2
	सीसीएल	41	36+5+0	0	3	23	12	2	1
	ईसीएल	71	15+48+8	0	6	21	18	25	1
	एमसीएल	18	15+3+0	0	1	2	6	7	2
	एनसीएल	10	10+0+0	2	0	3	5	0	0
	एसईसीएल	63	20+43+0	2	4	33	18	6	0
	डब्ल्यूसीएल	56	3+24+1	0	11	25	15	5	0
	एससीसीएल	36	13+23+0	1	6	17	8	4	0
	एनएलसी आईएल	4	4+0+0	3	0	1	0	0	0
	कैप्टिव एवं अन्य	29	20+7+2	8	8	7	4	2	0

आधार वर्ष 2020–21 और 2022–23 के लिए स्टार रेटिंग का प्रदर्शन प्रगति पर है। खानों द्वारा स्व-मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और क्षेत्रीय स्तर पर सीसीओ द्वारा गठित समिति द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से शीर्ष 10: उच्चतम स्कोरिंग खानों को मान्य किया जा रहा है।

**6. कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन:** कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका 2020–21 पहले ही 25.01.2022 को प्रकाशित कर दी गई है। अनंतिम कोयला निर्देशिका 2021–22 दिनांक 04.08.2022 को प्रकाशित कर दी गई है। कोयला निर्देशिका 2021–22 जनवरी माह में प्रकाशित की जाएगी।

**7. पूर्व में आबंटित कोयला ब्लॉकों के लिए बैंक गारंटी संबंधी मामला:** मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सीसीओ जब भी आवश्यकता हो, संबंधित पूर्व आवंटी को रिपोर्ट भेजता है। 34 कोल ब्लॉक अदालती मामलों में से।

- 2021–22 में 8 कोयला ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है।
- 2022–23 में 7 ब्लॉकों की बैंक गारंटी वापस कर दी गई है।
- 9 कोयला ब्लॉकों की आईएमजी द्वारा समीक्षा की गई है और एमओसी से आदेश की प्रतीक्षा है
- 5 कोयला ब्लॉकों के डाटा समीक्षा के लिए एमओसी को प्रस्तुत किए गए हैं
- 5 कोयला ब्लॉकों की समीक्षा की जानी है।

**8. ब्रिज लिंकेज के माध्यम से लिंकेज कोयले की मात्रा:** सीसीओ ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की लिंकेज मात्रा का निर्धारण करता है और 2022–23 में स्थायी लिंकेज

समिति (एसएलसी) के निर्देशों के अनुसार कोयले के लिंकेज से संबंधित 7 मामलों का समाधान किया गया है।

**9. खान बंद करने की निगरानी और खान बंद करने की गतिविधि के लिए एस्करो खाता संचालित करना:** कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद करने की योजना (प्रगतिशील और अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद करने की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए और अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद करने की लागत जमा करने के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक में एस्करो खाता खोलने हेतु त्रिपक्षीय एस्करो समझौते को निष्पादित करने का कार्य सौंपा गया है। (कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना तैयार करने, लागू, प्रस्तुत करने, जांच, अनुमोदन और संशोधन हेतु कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन सं.34011/28/2019–सीपीआईएम दिनांक 29.05.2020)। अनुसूचित बैंकों और कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के बीच 591 त्रिपक्षीय एस्करो खाता समझौते निष्पादित किए गए हैं। एस्करो खातों में दिसंबर 2022 तक टीडीएस समायोजित करने के बाद ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 14620.71 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2022 तक विभिन्न कोयला और लिग्नाइट खानों के एस्करो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए 2432.99 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई है। वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, 56 एस्करो समझौते निष्पादित किए गए हैं और 2 प्रक्रियाधीन हैं।

**10. एस्करो खातों से प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए धन की प्रतिपूर्ति:** वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के लिए, प्रगतिशील/अंतिम खान बंद करने की गतिविधियों के लिए 32 कोयला/लिग्नाइट खानों के लिए 108.38 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

**11. भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य—:** कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अनुसार अनुसूची—I कोयला खानों के लिए दावा मामलों को निपटाने के लिए कोयला नियंत्रक भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करता है। सीओपी का निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	वितरित राशि
2016-17	944,69,37,538/-
2017-18	197,31,98,353/-
2018-19	2,47,41,088/-
2019-20	शून्य
2020-21	91,54,13,995/-
2021-22	36,09,59,649/-
2022-23 (दिसंबर 2022 तक)	3,82,74,47,548

**12. वॉशरी रिजेक्ट के निपटान की अनुमति:** "एमओसी द्वारा जारी सीसीटी-13011/3/2007-सीए-1 (खंड-III), दिनांक 27-05-2021 द्वारा जारी निपटान" की नीति" के अनुसार 2022-23 के दौरान वॉशरी रिजेक्ट (7.3,37 मि.ट.)

निपटान के लिए 25 वॉशरियों को निपटान की अनुमति दी गई है। दिसंबर, 2022 तक लगभग 101 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

**13. कोयला खानों के संरक्षण और विकास खाते से क्रेडिट की राशि का वितरण:** कोयला नियंत्रक कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम 2021 के तहत गठित कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक कार्यालय सीसीडीएसी के माध्यम से धन जारी करने के लिए कोलफील्ड्स क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्य, सड़क और रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में कोयला कंपनियों से आवेदनों/दावों को प्राप्त करता है और कार्रवाई तथा जांच करता है। निधि की स्थिति इस प्रकार है।

विवरण	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा					कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास 'डीटीआईसी)				
	जीएन	एनईआर	टीएसपी	एससी	कुल	जीएन	एनईआर	टीएसपी	एससी	कुल
आवंटित निधि 2021-22	4.39	0.60	0.51	0.50	6.00	47.87	6.55	6.63	5.43	65.48
सं.अ. 2021-22	0.32	0.45	0.51	3.22	4.50	0.70	6.55	30.80	27.43	65.48
स्पिल ओवर राशि 2020-21	0.00	0.00	0.509	3.217	3.727	0.00	0.00	30.795	70.944	101.739
अनुमोदित सीसीडीएसी निधि	3.928	0.00	1.815	2.308	8.052	0.00	0.404	0.00	0.00	0.404
कुल अनुमोदित (अर्थात् स्पिलओवर 2020-21+ 2021-22 में सीसीडीए द्वारा अनुमोदित)	3.928	0.00	2.234	5.525	11.779	0.00	0.404	30.795	70.944	102.143
21-22 में वितरित निधि	0.32	0.00	0.509	3.217	4.047	0.00	0.404	30.795	27.430	58.629
22-23 (दिसंबर, 2022 तक) में वितरित निधि	3.26	0.00	0.34	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15
स्वीकृत राशि का भुगतान अभी बाकी है (दिस., 2022 तक) (अर्थात् स्पिलओवर 2021-22)	0.348	0.00	1.385	2.308	4.132	0.00	0.00	0.00	39.364	39.364

2022-23 में आवंटित निधि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (ब.अ.—4.00 करोड़) 2022-23					कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी) (ब. अ. 50.04 करोड़) 2022-23				
	जीएन	एनईआर (10.00%)	टीएसपी (8.6%)	एससी (8.3%)	कुल	जीएन	एनईआर (10.00%)	टीएसपी (8.6%)	एससी (8.3%)	कुल
2022-23 में आवंटित निधि	4.39	0.60	0.51	0.50	6.00	47.87	6.55	6.63	5.43	65.48
स्पिल ओवर राशि 2021-22 दिसंबर 2022 तक	0.32	0.45	0.51	3.22	4.50	0.70	6.55	30.80	27.43	65.48

**14. सूचना प्रौद्योगिकी:** सीसीओ सीसीओ दिल्ली में ई-ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है।

## 7. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका उत्तरदायित्व कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान बीमा स्कीम से संबंधित निक्षेप, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

31 दिसम्बर, 2022 तक संगठन द्वारा लगभग 3,52,683 लाख भविष्य निधि दाताओं को तथा लगभग 5,90,072 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दी गई हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देशभर के कोयला उत्पादन राज्यों में इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

### 7.1 कोयला खान भविष्य निधि स्कीम

वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर निजी क्षेत्र में प्रचालित कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या 832 होगी। 31.

03.2022 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि स्कीम, 1948 के अंतर्गत लगभग 3.64 लाख जीवित सदस्यता होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2021-22 अर्थात (01.04.2022 से 30.11.2022 तक) के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की प्राप्त रकम लगभग 4800 करोड़ रुपए थी। दिनांक 01.12.2022 से 31.03.2023 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अंशदान की कुल राशि बढ़कर लगभग 7200 करोड़ रुपए हो जाएगी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। 31.10.2022 तक निधि निवेश का कुल अंकित मूल्य लगभग 123258.98 करोड़ रुपए (16,522 करोड़ रुपए के विशेष जमा स्कीम निवेश सहित) है। **वृद्धिकारक निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.2022 से 30.11.2022 तक लगभग 3835 करोड़ रुपए हैं तथा यह अनुमान किया जाता है कि 01.12.2022 से 31.03.23 तक यह लगभग 863 करोड़ रुपए होगी।**

वर्ष 2021-22 के दौरान सदस्यों की एकत्र राशि पर प्रति वर्ष 8% प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी गई है।


वर्ष 2022-23 (31 मार्च, 2023 तक) के दौरान अदा किए गए अग्रिमों सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	निपटाए गए (01.04.2022 से 30.11.2022) मामलों की संख्या तथा वितरण राशि#	निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या (01.12.2022 से 31.03.2023) तथा वितरण राशि#
भविष्य निधि वापसी मामले	18895	9444 लगभग
विवाह अग्रिम शिक्षा अग्रिम गृह निर्माण अग्रिम	} 4633	2316 लगभग
भविष्य निधि तथा अग्रिम पर वितरित राशि		6545.9 करोड़ रु. लगभग (दिनांक 01.04.2022 से 30.11.2022 तक लागू)
		3272 करोड़ रुपए लगभग (दिनांक 01.11.22 से 31.03.23 तक लागू) (अनुमानित)

#सभी आकड़े अनंतिम हैं।

सीएमपीएफ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

भविष्य निधि वापसी के मामलों के निपटान में विलंब का रूझान नीचे दिया गया है: -



## 7.2 बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो। इस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान

करना होता है। इस समय इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

### 7.3 कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998:

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है। कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है।

कोयला खान पेंशन योजना दिनांक 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है। वर्ष 2022-23 (01.04.22 से 30-11.2022) में निपटाये गये पेंशन के नये दावों की संख्या 21732 एवं (01.12.2022 से 31.03.2023) तक लगभग 10864 है। कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत (01.04.22 से 30-11.2022) वितरित कुल राशि लगभग 3110 करोड़ रुपये है और (01.12.22 से 31.03.23) तक लगभग 1550 करोड़ रु. है।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं:-

#### निधियों का कोष एवं इसकी संधारणीयता

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (क) नियुक्ति के दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।
- (ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अंशदान बराबर-बराबर शेयर का अपना-अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।
- (ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।
- (घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें से जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार

पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है। क्षण्ड (ख) से (घ) का लोप किया गया है तथा दिनांक 08 जून, 2018 को प्रकाशित जीएसआर सं. 540 (ई) के तहत दिनांक 01.10.17 से देय मूल वेतन एवं वैरिबल मंहगाई भत्ता के आधार पर आकलित कर्मचारी के वेतन के 7% की दर से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा समान अंशदान हेतु खण्ड (छ) जोड़ा गया है।

- (ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है। बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छह सौ रु. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छह सौ रु. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।

- (च) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि।

सेवारत सदस्यों का पेंशन अंशदान 01.04.2022 से 31.11.2022 तक 2368 करोड़ रुपए तथा (01.12.2022 से 31.03.2023 तक (अनुमानित) (सरकार के अंशदान तथा ब्याज सहित) लगभग 1184 करोड़ रुपए है।

#### कवरज:-


- (क) वे सभी कर्मचारी, जो तत्कालीन कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।
- (ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।
- (ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

(घ) 01.04.1994 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं.521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

- (ख) विकलांगता पेंशन
- (ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन
- (घ) बाल पेंशन
- (ङ.) अनाथ पेंशन

लाभ:-

- (क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)
- (च) अनुग्रह राशि का भुगतान



टिप्पणी: वर्ष 2022-23 (31.03.2023 तक) के लिए कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री में दिए गए सभी आंकड़े अनंतिम (अलेखापरीक्षित) हैं।